प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 1721 / 1995

<u>अपीलार्थी</u> पंचराम @ पंचपम

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u> छत्तीसगढ़ राज्य

09.07.2012 को निर्णय की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 1721 / 1995

अपीलार्थी पंचराम @ पंचपम

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

उपस्थित:

श्री प्रकाश तिवारी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री प्रवीन दास, उप शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(09.07.2012)

यह अपील दिनांक 12.12.1995 को तृतीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, बस्तर द्वारा सत्र विचरण क्रमांक 31/1995 में पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (संक्षेप में एन.डी.पी.एस. अधिनियम) की धारा 20(ख) के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास तथा ₹10,000/- का जुर्माना, तथा जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 31.05.1995 को एन. कुजूर (अभियोजन साक्षी-3), थाना प्रभारी, नगरनार, जिला बस्तर, सहायक उप निरीक्षक विजयनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-1) के साथ गश्त पर थे, उसी समय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति उड़ीसा सीमा पार कर गांजा लेकर आ रहे हैं। दोनों अधिकारियों ने संदिग्ध स्थान पर बैरिकेड लगाया और कुछ समय बाद मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी-25/0921 को रोका। अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 50 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत नोटिस (प्रदर्श पी-1) दिया गया और सहमति प्राप्त कर वाहन

की तलाशी ली गई। वाहन की तलाशी में एक प्लास्टिक बैग मिला जिसमें गांजा था। नोटिस प्रदर्श पी-2 अभियुक्त/अपीलार्थी को दिया गया, जिसमें उससे पूछा गया कि क्या उसके पास उक्त विनिषिद्ध ले जाने का लाइसेंस है, और उत्तर में अभियुक्त ने बताया कि उसके पास ऐसी कोई परमिट नहीं है। विनिषिद्ध की जब्ती प्रदर्श पी-3 की गई और अभियुक्त/अपीलार्थी के कब्जे मे 10 किलोग्राम गांजा पाया गया। प्रदर्श पी-4 के अनुसार वजन का पंचनामा तैयार किया गया और देहाती नालिसी प्रदर्श पी-5 दर्ज की गई। थाना पहुँचने पर अपराध क्रमांक 86/1995 अंतर्गत धारा 20(ख) एन.डी.पी.एस. अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 दर्ज की गई। उसी दिन अर्थात 31.05.1995 को वरिष्ठ अधिकारी अर्थात पुलिस अधीक्षक, बस्तर को रेडियो संदेश भेजा गया। तत्पश्चात प्रदर्श पी-9 के अनुसार नमूना तैयार किया गया और प्रदर्श पी-8 के अनुसार बैग को सील कर आरक्षक क्रमांक 816 को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु सौंपा गया। प्रदर्श पी-10 के अनुसार मौका दिनांक 14.06.1995 को तैयार किया गया। नमूना विधिक विज्ञान प्रयोगशाला को प्राप्त हुआ और उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 दिनांक 15.06.1995 को दी गई। विधिक विज्ञान प्रयोगशाला में विनिषिद्ध गांजा पाया गया। विवेचना उपरांत दिनांक 08.02.1995 को धारा 20(ख) एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अभियुक्त/अपीलार्थी का अपराध सिद्ध करने हेतु अभियोजन ने कुल पाँच गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया जिसमें उसने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा निर्दोष होने तथा झूठे फसाये जाने का अभिवाक किया।

4. पक्षकारों की सुनवाई के उपरांत, परीक्षण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दंडित किया जैसा कि इस निर्णय के अनुच्छेद क्रमांक 1 में उल्लेखित है।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख एवं आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया गया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री तिवारी का तर्क है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धाराओं 42 से 57 का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया है। उनका कथन है कि यद्यपि चालान के अनुसार विवेचना विजयनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-1) द्वारा की गई है, परंतु एन. कुजूर (अभियोजन साक्षी-3) के कथन के अनुसार वास्तव में वही विवेचना कर रहे थे और उन्होंने ही शिकायतकर्ता के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। उनका यह भी कहना है कि विनिषिद्ध को स्थल पर सील नहीं किया

गया बल्कि थाना में सील किया गया। उनका यह भी कहना है कि अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि विनिषिद्ध को मालखाने में रखा गया था या नहीं। यह भी तर्क दिया गया कि जब्ती करते समय नमूने नहीं निकाले गए और इससे विचारण दूषित हो जाती है। उनका कहना है कि जब विनिषिद्ध को विधिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, तब अन्वेषण अधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत मुहर नहीं लगाई और विचारण न्यायालय ने यह भी देखा कि साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि आर्टिकल-ए पर किसकी मुहर लगी थी। उनका यह भी तर्क है कि वरिष्ठ अधिकारी को सूचना उचित रूप से नहीं दी गई और केवल रेडियो संदेश भेजना धारा 57 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अनुपालन हेतु पर्याप्त नहीं है। अंततः यह भी तर्क दिया गया कि जब्ती गवाह पूरन सिंह(अभियोजन साक्षी-2) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य जब्ती गवाह दयानिधि का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया।

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क का प्रत्युत्तर देते हुए श्री प्रवीन दास, उप शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि अभियोजन द्वारा आवश्यक प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है। उनका कथन है कि यद्यपि धारा 50 के अंतर्गत नोटिस प्रदर्श पी-1 भी अपीलार्थी को दिया गया था, "परंतु वर्तमान मामले में इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि विनिषिद्ध अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसकी मोटरसाइकिल में ले जाए जा रहे प्लास्टिक बैग से जब्त किया गया है।" उनका यह भी कहना है कि यद्यपि पूरन सिंह(अभियोजन साक्षी-2) को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, परंतु प्रति-परीक्षण में उसने जब्ती को स्वीकार किया है तथा यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अपनी मोटरसाइकिल में एक बैग ले जा रहा था। आगे इस गवाह ने नोटिस प्रदर्श पी-2, पी-3 तथा वजन पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। उनका यह भी कहना है कि इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि संपूर्ण कार्यवाही विद्याधर की दुकान के सामने की गई थी, जिसे अभियोजन नेअभियोजन साक्षी-4 के रूप में परीक्षण किया है और उसने अभियोजन पक्ष का स्पष्ट समर्थन किया है।

8. राज्य के अधिवक्ता ने आगे यह तर्क किया कि गश्त के दौरान एन. कुजूर (अभियोजन साक्षी-3) और विजयनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-1) को सूचना प्राप्त हुई और तत्पश्चात वे तुरंत स्थल पर पहुँचे तथा सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 दर्ज की गई। यह भी तर्क किया गया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि धारा 50 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत नोटिस एन. कुजूर (अभियोजन साक्षी-3) द्वारा दिया गया और इसी प्रकार नोटिस प्रदर्श पी-2 भी उन्हीं द्वारा दिया गया। आगे यह भी तर्क किया गया कि प्रदर्श पी-5 तथा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-6 एन. कुजूर(अभियोजन साक्षी-3) द्वारा दर्ज की गई। उनका यह भी कहना है कि शेष विवेचना विजयनाथ सिंह(अभियोजन साक्षी-1) द्वारा की गई और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि यदि दो व्यक्तियों ने विवेचना की तो अपीलार्थी को कोई प्रतिकूलता हुई, क्योंकि अंततः चालान विजयनाथ सिंह(अभियोजन साक्षी-1) द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह भी तर्क किया गया कि यदि स्थल पर नमूने नहीं निकाले गए तो भी इससे अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि संपूर्ण प्लास्टिक बैग को सील कर यथावत विधिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जिसे दिनांक 14.06.1995 को विधिवत प्राप्त किया गया। यह भी तर्क किया गया कि जब संपूर्ण विनिषिद्ध को थाना की मुहर लगाकर विधिवत सील कर दिया गया, तो थाना प्रभारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत मुहर लगाना आवश्यक नहीं है, विशेषकर जब मुहर लगाने की प्रक्रिया विवादित नहीं है। आगे यह भी तर्क किया गया कि विधि के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत मुहर लगाना आवश्यक नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि रेडियो संदेश प्रदर्श पी-7 तत्काल पुलिस अधीक्षक, बस्तर को भेजा गया, जिसमें डी.आई.जी., बस्तर को भी सूचना दी गई और यह विस्तृत संदेश स्पष्ट करता है कि धारा 57 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है। यह भी तर्क किया गया कि अन्वेषण अधिकारी विजयनाथ सिंह(अभियोजन साक्षी-1) और एन. कुजूर(अभियोजन साक्षी-3), जब्ती गवाह विद्याधर(अभियोजन साक्षी-4) और शेखरलाल(अभियोजन साक्षी-5) ने अभियोजन पक्ष का विधिवत समर्थन किया है और यद्यपि पूरन सिंह(अभियोजन साक्षी-2) को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, परंतु प्रति-परीक्षण में उसने भी अभियोजन पक्ष का पर्याप्त समर्थन किया है। राज्य के अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क किया कि स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति में भी अभियुक्त/अपीलार्थी को केवल विजयनाथ सिंह(अभियोजन साक्षी-1) और एन. कुजूर(अभियोजन साक्षी-3) के कथनों के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. सहायक उप निरीक्षक विजयनाथ सिंह(अभियोजन साक्षी-1) ने कहा कि दिनांक 31.05.1995 को वह थाना नागरनर में पदस्थ थे और घटना के दिन जब वह थाना प्रभारी एन. कुजूर(अभियोजन साक्षी-3) के साथ ग्राम कोसमी में गश्त पर थे, तब उन्हें सूचना मिली कि उड़ीसा सीमा से कुछ व्यक्ति गांजा लेकर आ रहे हैं। उन्होंने

आगे कथन किया कि वह अपने स्टाफ के साथ स्थल पर पहुँचे, सड़क पर बैरिकेड लगाया और रात 1 से 1.30 बजे के बीच एक मोटरसाइकिल को आते देखा जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे। उक्त वाहन को रोका गया और जब चालक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम भंवरलाल बताया और दूसरा व्यक्ति अभियुक्त/अपीलार्थी था। उन्होंने कहा कि ये दोनों व्यक्ति बैग ले जा रहे थे और पूछने पर उन्होंने बताया कि बैग में गांजा है। अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नोटिस दिया गया, सहमति प्राप्त करने के बाद तलाशी ली गई, और प्रदर्श पी-2 के अनुसार उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास गांजा ले जाने का लाइसेंस है, जिस पर उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है। अभियुक्त पंचराम के कब्जे से 10 किलो गांजा और अभियुक्त भंवरलाल के कब्जे से 15 किलो गांजा जब्त किया गया और सील कर विधिक परीक्षण हेतु भेजा गया। इस गवाह के अनुसार शेष जाँच एन. कुजूर(अभियोजन साक्षी-3) द्वारा की गई। प्रति-परीक्षण में इस गवाह ने स्पष्ट कहा कि औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद गांजा सुरक्षित अभिरक्षा हेतु प्रधान आरक्षक शेखरलाल को सौंपा गया। तथापि, प्रदर्श पी-1 और पी-2 में समय का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि वजन उनकी उपस्थिति में किया गया परंतु अभियुक्तगण के हस्ताक्षर नहीं लिए गए। अनुच्छेद 9 में उन्होंने स्पष्ट किया कि चूँकि उसी वाहन से दो अलग-अलग व्यक्तियों से दो बैग गांजा जब्त किए गए, अतः उनके विरुद्ध दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि संपूर्ण कार्यवाही अभियुक्तगण को परेशान करने हेतु की गई थी। पूरन सिंह(अभियोजन साक्षी-2) — विनिषिद्ध की जब्ती का गवाह — ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही घोषित किया गया। तथापि उसने जब्ती मेमो तथा वजन पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए और कहा कि वाहन में दो बैग पाए गए। एन. कुजूर — थाना प्रभारी(अभियोजन साक्षी-3) ने अभियोजन का समर्थन करते हुए कहा कि घटना के दिन वह विजयनाथ सिंह(अभियोजन साक्षी-1) और अन्य स्टाफ के साथ ग्राम कोसमी गए और रात में एक वाहन को रोका गया तथा पूछताछ पर चालक और पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पंचराम और भंवरलाल बताया। उनके अनुसार वे बैग में गांजा ले जा रहे थे। तत्पश्चात विजयनाथ सिंह(अभियोजन साक्षी-1) द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। वजन करने पर पंचराम के कब्जे से 10 किलो और भंवरलाल के कब्जे से 15 किलो गांजा पाया गया, जिसे सुरक्षित अभिरक्षा हेतु शेखरलाल(अभियोजन साक्षी-5) को सौंपा गया,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जिसकी रसीद प्रदर्श पी-8 है। तत्पश्चात थाना की मुहर लगाकर गांजा विधिक परीक्षण हेतु भेजा गया। विद्याधर(अभियोजन साक्षी-4) — वजन पंचनामा प्रदर्श पी-4 का गवाह — ने अभियोजन का समर्थन किया। शेखरलाल(अभियोजन साक्षी-5) ने कहा कि अपराध क्रमांक 85/1995 में 15 किलो गांजा सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उसे सौंपा गया था, जिसकी रसीद प्रदर्श पी-8 है।

10. इस न्यायालय को अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता कि चूँकि विवेचना दो व्यक्तियों द्वारा की गई है, संपूर्ण परीक्षण दूषित हो गया है। अभिलेख से स्पष्ट है कि आंशिक विवेचना एन. कुजूर(अभियोजन साक्षी-3) द्वारा की गई और तत्पश्चातअभियोजन साक्षी-1 अर्थात विजयनाथ सिंह ने उसे आगे बढ़ाया, और ऐसा कोई विधिक निषेध नहीं है कि किसी मामले में विवेचना दो व्यक्तियों द्वारा नहीं की जा सकती। अन्यथा भी, बचाव पक्ष यह प्रदर्शित करने में असमर्थ रहा है कि यदि प्रारंभिक जाँच एक व्यक्ति द्वारा की गई और बाद में दूसरे द्वारा आगे बढ़ाई गई तो उसके मामले को क्या प्रतिकूलता हुई। इस न्यायालय को अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल प्रतीत नहीं होता कि जब्ती स्थल से नहीं की गई और नमूने भी वहाँ नहीं निकाले गए, क्योंकि अभिलेख से स्पष्ट है कि विनिषिद्ध की जब्ती के बाद उसे संपूर्ण रूप से सील कर विधिक परीक्षण हेतु भेजा गया और तत्पश्चात प्रयोगशाला से सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस न्यायालय को अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल प्रतीत नहीं होता कि उच्च अधिकारियों को रेडियो संदेश भेजना धारा 57 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अनुपालन हेतु पर्याप्त नहीं है। अभिलेख से स्पष्ट है कि अभियोजन ने अधिनियम की धारा 57 में निहित आवशयक प्रावधान की सभी प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण किया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. अतः अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि अभियोजन ने इस विशेष अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी वैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद अभियुक्त/अपीलार्थी से 10 किलो गांजा जब्त किया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई कमी प्रतीत नहीं होती जिसके आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी कोई लाभ प्राप्त कर सके। अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष गवाहों के साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित हैं और इस अपील में उनके साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अपील निराधार होने के कारण निरस्त की

जाती है। अपीलार्थी के जमानत होने की सूचना है। उसके जमानत-पत्र निरस्त किए जाते हैं । उसे शेष दंडादेश की अवधि भुगतने हेतु तत्काल जेल भेजा जाए।

हस्ताक्षर

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur